न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस

पत्रावली संख्याः— 02/2017/निगरानी

ग्राम पंचायत करड़ पंचायत समिति, दांतारामगढ जिला सीकर (राज0) जरिये सरपंच मन्नीदेवी पत्नि श्रवणलाल उम्र 48 वर्ष जाति जाट निवासीगण ग्राम बाल्यावास तन करड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

निगरानीकर्ता

बनाम

चौथमल कुमावत पुत्र श्री जालूराम उम्र 80 वर्ष जाति कुमावत निवासी ग्राम करड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध निर्णय दिनांकित 07.10.2016 द्वारा पारित
न्यायालय प्रशासन स्थायी समिति पंचायत समिति, दांतारामगढ
अपील सं. 08/2016 उनवानी चौथमल बनाम ग्राम पंचायत करड़

वकील प्रार्थी श्री महेश कुमार पटेल
वकील अप्रार्थी श्री मदनलाल कुमावत

निर्णय दिनांकः—19.04.2018

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि गैर निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम करड़ की आबादी भूमि में अवैध रूप से अतिचार किये जाने पर दिनांक 05.03.2018 को शिवभगवान पुत्र दौलतसिंह जाति राजपूत निवासी करड़ द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गयी थी, जिस आवेदन को निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक में पंचायत के कोरम के समक्ष रिकार्ड पर ली जाकर प्रस्ताव सं. 09 दिनांक 05.03.2016 को लिया जाकर गैर निगरानीकर्ता को निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 25.03.2016 को नोटिस जारी किया था जिसके विरूद्ध गैर निगरानीकर्ता द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय स्थायी प्रशासन समिति पंचायत समिति दांतारामगढ़ के समक्ष अपील सं. 08/2016 ब उनवानी चौथमल बनाम ग्राम पंचायत करड़ प्रस्तुत की गयी। जिसमें योग्य अधीनस्थ न्यायालय स्थायी प्रशासन समिति दांतारामगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07.10.2016 के द्वारा निर्णय पारित कर दिया कि गैर निगरानीकर्ता के नाम से ग्राम पंचायत करड़ से 1955 में 277.33 वर्ग गज का पट्टा जारी किया गया था। पट्टे पर पिछले 60 वर्ष से चौथूराम (निगरानीकर्ता) का कब्जा है, मात्र एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर ग्राम पंचायत पट्टे से बेदखल नहीं कर सकती है। इसमें ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे से बाहर कितना अतिक्रमण किया या नहीं किया कोई मौका कमिश्नर रिपोर्ट नहीं ली गयी एवं कितनी भूमि पर किस प्रकार का अतिक्रमण किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा शपथ पत्र देकर साफ कर दिया है कि मेरे द्वारा चौथमल पुत्र जालूराम कुमावत के निर्माण से सम्बंधित कोई शिकायत नहीं की गयी है। मेरे नाम से जो प्रस्ताव सं. 9 दिनांक 05.03.2016 पारित किया गया है वह गलत है। ग्राम पंचायत की कार्यवाही अवैधानिक व नियम विरूद्ध है, कहते हुये ग्राम पंचायत करड़ के प्रस्ताव सं. 9 दिनांक 03.05.2016 एवं नोटिस क्रमांक 100 दिनांक 25.03.2016 को खारिज किया जाता है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गैर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 05.03.2016 प्रस्ताव सं. 9 एवं नोटिस क्रमांक 100 दिनांक 25.03.2016 को निरस्त किये जाने बाबत प्रस्तुत की गयी है जो सर्वथा गलत एवं वेगसेशन आधारों पर विधि एवं प्रश्नगत सम्पदा के वास्तविक तथ्यों के विपरित प्रस्तुत की गयी है, क्योंकि गैर निगरानीकर्ता द्वारा प्रश्नगत ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध रूप से अतिचार किये जाने पर दिनांक 05.03.2016 को शिवभगवानसिंह पुत्र दौलतसिंह जाति राजपूत निवासी करड द्वारा शिकायत प्रस्तुत की

साज करके गलत रूप से शपथ पत्र प्रस्तुत कर अतिक्रमी की दुरभिसंधि पूर्वक मदद कर रहा है जो कतई गलत है एवं स्वयं द्वारा प्रस्तुत शिकायत शिवभगवानसिंह की ब–कलमी व हस्ताक्षरयुक्त होने के बावजुद वास्तविक तथ्यों को छुपाकर वास्तविकता की जानकारी होते हुये निगरानीकर्ता पर एवं निगरानीकर्ता के पति पर झूंठे आरोप लगाते हुये शपथ पत्र पर हलफनामा दिया है। गैर निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील दिनांक 05.03.2016 प्रस्ताव सं. 9 एवं नोटिस क्रमांक 100 दिनांक 25.03.2016 को निरस्त किये जाने बाबत प्रस्तुत की है जबकि कानूनन रूप से उक्त आदेशों की तिथि में एक माह के भीतर अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी किन्तु गैर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में देरी माफी हेतु भी गैर निगरानीकर्ता ने मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत कोई आवेदन पेश नहीं किया है इसलिए गैर निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने के कारण भी निरस्त किये जाने योग्य थी किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विरूद्ध पत्रावली जाकर चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित किया है जो स्थिर रहने योग्य नहीं है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय स्थायी प्रशासन समिति, दांतारामगढ द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपील में अपनायी जाने वाली विधिक प्रकिया की पालना नहीं की गयी है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित किये जाने के पूर्व पत्रावली में कोई पेशी वास्ते बहस एवं निर्णय हेतु नियत नहीं की गयी एवं न ही इस बाबत निगरानीकर्ता को अवगत करवाया गया। इस कारण चुनौतीग्रस्त निर्णय दिनांक 07.10.2016 प्राकृतिक न्याय शास्त्र के सिद्वान्तों के प्रतिकूल होने से भी निरस्तनीय है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय स्थायी प्रशासन समिति दांतारामगढ़ द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त निर्णय दिनांक 07.10.2016 निरस्त फरमाया जाकर निगरानीकर्ता द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 09 दिनांक 05.03.2016 एवं नोटिस क्रमांक 100 दिनांक 25.03.2016 को बहाल किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा पूर्वोक्त कथनों की पुनरावृति करते हुए निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया। अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता का कथन है कि गैरनिगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने के पश्चात् पंचायत द्वारा ही प्रस्ताव लिया जाकर पट्टा खारिज किया गया है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे को खारिज किये जाने हेतु सक्षम स्तर पर अपील करनी चाहिए थी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा गैरनिगरानीकर्ता चौथूराम पुत्र जालूराम कुमावत निवासी करड़ के नाम से सन् 1955 में 277.33 वर्ग गज का पट्टा जारी किया गया। ग्राम पंचायत के समक्ष शिवभगवानसिंह पुत्र दौलतसिंह जाति राजपूत निवासी करड़ द्वारा एक शिकायत प्रार्थना पत्र चोथूराम पुत्र जालूराम निवासी करड़ द्वारा अतिक्रमण करने हेतु पेश करने पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 05.03.2016 में निर्णय लिया जाकर नोटिस क्रमांक 100 दिनांक 25.03.2016 अतिक्रमण हटाने हेतु जारी कर दिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त प्रस्ताव एवं नोटिस में गैरनिगरानीकर्ता द्वारा कितनी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है यह भी अंकित नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय प्रशासन स्थायी समिति पंचायत समिति दांतारामगढ़ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07.10.2016 में अंकित किया है कि "बाद व्यापक विचार विमर्श कर पाया कि चौथमल पुत्र जालूराम जाति कुमावत निवासी करड़ के नाम से ग्राम पंचायत करड़ से 1955 में 277.33 वर्ग गज का पट्टा जारी किया गया है। पट्टे पर पिछले 60 साल से चौथूराम पुत्र जालूराम का कब्जा है। मात्र एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर ग्राम पंचायत पट्टे से बेदखल नही कर सकती है। इसमें ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे से बाहर कितना अतिक्रमण किया या नहीं किया कोई मौका कमीशन रिपोर्ट नही ली गई है एवं कितनी भूमि पर किस प्रकार का अतिक्रमण किया गया है। शिवभगवान सिंह द्वारा पट्टे से बाहर अतिक्रमण की कोई शिकायत नही की गई है एवं शपथ पत्र देकर साफ कर दिया है कि मेरे द्वारा चौथमल पुत्र जालूराम कुमावत के निर्माण से सम्बंधित कोई शिकायत नहीं की गई है। मेरे नाम से जो प्रस्ताव संख्या

09 दिनांक 05.03.2016 पारित किया गया है वह गलत है। ग्राम पंचायत की कार्यवाही अवैधानिक व नियम विरूद्व है। सदन द्वारा व्यापक विचार विमर्श कर ग्राम पंचायत करड़ के प्रस्ताव संख्या 09 दिनांक 05.03.2016 एवं नोटिस क्रमांक 100 दिनांक 25.03.2016 को खारिज किया जाता है।" उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम पंचायत करड़ द्वारा उक्त प्रस्ताव संख्या 09 दिनांक 05.03.2016 एवं नोटिस क्रमांक 100 दिनांक 25.03.2016 जारी करने से पूर्व विधिवत प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है। ग्राम पंचायत के द्वारा स्वयं के द्वारा जारी पट्टा/आवंटन को अपने स्तर पर ही निरस्तगी का निर्णय लिया गया है, जबकि यदि पट्टा/आवंटन निरस्त करवाना हो तो नियमानुसार पंचायत राज अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अपील/निगरानी की जानी चाहिए थी। अतः न्यायालय स्थाई समिति, पंचायत समिति दांतारामगढ़ के निर्णय दिनांक 07.10.2016 में किसी प्रकार की दखलन्दाजी की आवश्यकता नहीं है। ग्राम पंचायत पट्टा/आवंटन पत्र के सम्बंध में सक्षम स्तर पर अपील/निगरानी के लिये स्वतंत्र है। लिहाजा निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/4/18

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official